

[भारत के राजपत्र (असाधारण) के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं.07/2017-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 01 मार्च, 2017

सा.का.नि.----- (अ), - केन्द्र सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 9/2012-सीमा शुल्क दिनांक 9 मार्च, 2012 जोकि भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 129 (अ), दिनांक 9 मार्च, 2012 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी, इसके आगे उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) शर्त (V) के प्रस्तुत के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“2. ऊपर कुछ भी निहित होने के बावजूद इस द्वारा अधिसूचना में निहित छूट भी लागू होगी, यदि कटे और पॉलिश हीरे के निर्यात और पुनः आयात जैसा कि उपर्युक्त कहा गया है, कि प्रक्रियाओं की हस्तपुस्तिका और विदेश व्यापार नीति में और उपर्युक्त निर्दिष्ट शर्तों (ii),(iii),(iv) और (v) को पूरा करने के साथ-साथ निर्यातकों की ओर से 2015-2020 प्रक्रियाओं की हस्तपुस्तिका के पैराग्राफ 4.74 के तहत उल्लिखित प्रयोगशालाओं की भारत में अधिकृत कार्यालयों या एजेंसियों द्वारा वचन लिया गया है।”;

(ख) स्पष्टीकरण के लिए, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्,
“स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, “विदेश व्यापार नीति” का आशय विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 से है जोकि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना सं. 01/2015-2020, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के अनुसार प्रकाशित की गई थी.”.

फा.सं.डीजीईपी/जीएंडजे/04/2017

(धर्मवीर शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी :- दिनांक 9 मार्च, 2012 की प्रधान अधिसूचना सं. 9/2012-सीमा शुल्क, भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में 9 मार्च, 2012 की सा.का.नि. सं. 129 (अ), के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में दिनांक 11 जुलाई, 2014 की सा.का.नि. सं. 463 (अ) के अंतर्गत दिनांक 11 जुलाई, 2014 की अधिसूचना सं. 16/2014-सीमा शुल्क के अंतर्गत इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था।